



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 24,000/- रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०-65/2020 धारा-498ए,304बी भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रति० अधि० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.राममिलन निषाद पुत्र हरिराम निवासी ग्राम क्योटारा, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर को वैकल्पिक धारा-498ए,302 भा०द०सं० व 4डीपी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 24,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडि.डीजीसी मणिकर्ण
शुक्ल



विवेचक-
सीओ अनुराग सिंह



पैरोकार
थाना- कुरारा
का० संजीत कुमार